RJPP, Vol. 16, No. 2, 2018, ISSN (P) : 0976-3635, (e) :2454-3411 Impact Factor 6.476(SJIF)
UGC Approved Journal No. 43279

अल्पसंख्यक वर्ग एक विशलेषणात्मक अध्ययन के रूप में

डॉ0 डी0 एल0 शर्मा*, मीनाक्षी शर्मा**

**राजनीतिक विज्ञान विभाग, **हिन्दी विभाग, एस0डी0डी0के0के0पी0जी0 एण्ड बी0एड0 कॉलिज, चिंगरावठी, बुलन्दशहर उ0प्र0*

सारांश

आधुनिक काल में अल्पसंख्यक वर्ग में अलगाववाद की समस्या सार्वभौमिक होने के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों को झकझोर रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों की जनसंख्या 177,286,000 है जो कुल जनसंख्या 22.5 प्रतिशत है। भारतीय समाज का बहुमत हिन्दू धर्मावलम्बी है और देश की अधिकतर जनसंख्या हिन्दू धर्म का मानने वाली उसके बावजूद भी भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी सामाजिक, अर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीति में भाग लेने के समान अवसर उपलब्ध है। भारत सरकार इसके लिये भरसक प्रयत्नशील है कि किसी भी समुदाय, जाति या धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव न किया जाये। इसके लिये भारतीय संविधान में आरक्षण की भी व्यवस्था है।

मूल शब्द *: अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदाय।*

Reference to this paper should be made as follows:

डॉ0 डी0 एल0 शर्मा, मीनाक्षी शर्मा

अल्पसंख्यक वर्ग एक विशलेषणात्मक अध्ययन के रूप में

RJPP 2018, Vol. 16, No. 2, pp. 39-43 Article No. 6

***Online available at** : http://anubooks.com/?page_id=2004*

डॉ0 डी0 एल0 शर्मा*, मीनाक्षी शर्मा**

संसद व विधानमण्डलों में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के अतिरिक्त मन्त्रिमण्डल तथा उच्च राजनीतिक और प्रशासकीय पदों पर भी मुस्लमान नियुक्त होते जा रहे है, देश के संवैधानिक तन्त्र के शिखर पर राष्ट्रपति के रूप में डा0 जाकिर हुसैन और **फखरूद्दीन अली अहमद**को निर्वाचित किया गया। केन्द्रीय मंत्री मण्डल में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हुमायूँ कबीर, रफी अहमद, किदवई, हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, एम0सी0 छागला, मुईनुलक चौधरी आदि कैबिनेट स्तर के मन्त्री रहे है। आजादी के बाद से लेकर प्रशासन में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या निरन्तर बढ़ी है। लेकिन 1980 के बाद से प्रशासन में उनकी भागीदारी उस हिसाब से नहीं बढ़ी जितनी की बढ़नी चाहिये थी, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय के युवा वर्ग में रोष व्याप्त हो रहा हैं। वे प्रशासन से अलगाववादी रूख अपना रहे हैं। अन्य अल्पसंख्यको की तुलना में मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग की शिकायतें कुछ भिन्न रही है, विशेषकर इस सम्प्रदाय की समस्याऐं साम्प्रदायिकता का रूप धारण करने के कारण और भी जटिल हो गयी हैं।

भारतीय अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग की मुख्य समस्यांए निम्नलिखित हैः–

भारतीय संविधान में राजनीतिक समानता के सिद्धान्त को मान्यता दी हैं लेकिन व्यवहार में मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग इस समानता का उपभोग नहीं कर पाता। विधान मण्डलों में मुस्लिम सदस्यों की संख्या उनके अनुपात में बहुत कम हैं।

1. विभिन्न लोक सेवाओं के चयन में मुस्लिमों को धर्म के आधार पर भेदभाव।

2. मुस्लिम समुदाय की मुख्य समस्या है कि साम्प्रदायिक दंगो में शासन का पक्षपातपूर्ण रवैया। सरकार वोट बैंक के लिए हिन्दू द्वारा मुस्लिमों का दमन।

3. मुस्लिम मातृभाषा के प्रति सरकार का उदासीन दृष्टीकोण है। जैसे– उर्दू को सरकारी संरक्षण का अभाव।

4. मुसलमानों की व्यक्तिगत विधि में (मुस्लिम पर्सनल लॉ) परिवर्तन का प्रश्न भी अत्यधिक विवादग्रस्त विषय रहा है। भारत सरकार, मुसलमानों की व्यक्तिगत विधि में परिवर्तन करना चाहती है जैसे– बहुविवाह, तलाक व सम्मत्ति आदि में।

5. डा0 सईद ने लिखा है कि मुस्लिमों की एक मुख्य समस्या शिक्षा पाठ्यक्रमें में निर्धारित पुस्तकों के सम्बन्ध में है, शिक्षा संस्थाओं में विभिन्न स्तरों पर बढ़ायी जानें वाली कुछ पुस्तकों में अल्पसंख्यक वर्ग विशेष कर मुसलमानों के धार्मिक विश्वास के विरूद्ध सामग्री पायी गयी हैं।

मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर गोपाल सिंह की रिपार्टः–

जून 1988 में डा0 गोपाल की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया गया जिसने मुस्लिम समुदाय की शिक्षा के बारे में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के लिये 12 राज्यों और 45 जिलों से जो आँकड़े एकत्रित किये गये उनमें प्रतिशत के हिसाब से केवल कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्यप्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के मातृदा, मुर्शिदाबाद जिलों में ही मुस्लमानों की प्राथमिक शिक्षा स्तर पर नाम दर्ज कराने की स्थिति कुछ अच्छी थी। सरकारी सार्वजनिक संस्थानों सहकारिता विभागों और स्थानीय संकायों में रोजगार में लगे मुस्लमानों की संख्या अनुसूचित जातियों की तुलना में बहुत कम है।

विभागीय जातियाँ	भारतीय प्रषासनिक सेवा	भारतीय पुलिस सेवा	भारतीय विदेष सेवा	केन्द्रीय अधीनस्थ सेवा
मुस्लिम	3.27	2.7	3.37	1.5
अनुसूचित	9.9	9.8	16.48	13.1

उपरोक्त अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों की शिक्षा और विकास पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया गया जिसके चलते इनमें अलगाव जैसी भयंकर समस्या की खाई और गहरी होती जा रही है। वर्तमान काल में अध्ययन से भी पता चलता हैं कि मुस्लिमों की स्थिति हिन्दू दलितों की स्थिति से विशेष बेहतर नहीं है इनमें एक अध्ययन अबू सलेह शरीफ का है जिन्होने तीन सूरचकांको राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, गरीबी रेखा और साक्षरता दर के आधार पर बताया कि मुस्लिमों की स्थिति अनुसूचित जाति के समकक्ष है। मुसलमानों की राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 3687 रूपये है। अनुसूचित जातियों की प्रति व्यक्ति आय 3505 रू0 है। मुसलमानों की 43 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रही हैं तो अनुसूचित जाति की 5 प्रतिशत आबादी ही गरीबी रेखा के नीचे है। इस प्रकार यदि मुस्लमानों में 49 प्रतिशत साक्षर है। तो अनुसूचित जाति में 39 प्रतिशत लोग साक्षर है। इतना कुछ होते हुए भी अल्पसंख्यक वर्ग की इस भयानक समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। हमारे संविधान में पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिये आरक्षण की व्यवस्था न केवल आज है बल्कि स्वतन्त्रता से पूर्व भी आरक्षण की व्यवस्था थी।

राजिन्दर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट–2006

इस रिपोर्ट में कहॉ गया है के मुस्लिम समुदाय में व्याप्त गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने तथा इस समुदाय के लोगों को भारत की मुख्य धारा में लाने के लिये उन्हें रोजगार एवं शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समिति ने यह माना है कि मुस्लमानों में सबसे पिछड़े 'अरजल' तबके को उसके पारम्परिक पेशे के आधार पर अनुसूचित जातियों के समकक्ष माना जाना चाहिये तथा 'अशरफ' और 'अजलफ' तबके को अन्य पिछड़े वर्गो की कोटि में स्थान दिया जाना चाहिये। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि सरकारी नौकरियों में मुस्लमानों का अंश केवल 4.9 प्रतिशत हैं जिसका कारण उनके विरूद्ध पक्षपातपूर्ण रवैया है। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिये 'समान अवसर आयोग' के गठन का भी सुझाव दिया जो उनकी शिकायतों की जॉच करेगा।

16 नवम्बर 1992–सुप्रीम कोर्ट ने मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू करने के फैसले को वैध ठहराया। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत करने व क्रीमीलेयर को इस सुविधा से अलग करने का निर्देश दिया।

29 मार्च 2007—सुप्रीम कोर्ट दो सदस्यीय पीठ ने आरक्षण पर रोकने के अन्तिम आदेश किये।
मई 2007—राजस्थान में गुर्जरों को एस0टी0 श्रेणी में रखने की माँग को लेकर प्रदर्शन।
10 अप्रैल 2008—सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण कानून बनाया।
अगस्त 2013—केन्द्र में पिछड़े वर्ग की श्रेणी के लिये जाटों का दिल्ली में धरना।

मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने के लिये मुस्लिम बाहुल्य प्रधान राज्य उत्तर प्रदेश का चयन किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार यू0पी0 में मुस्लिम अल्पसंख्यको की संख्या 30740148 है, चूँकि समस्त उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अल्पसंख्यको का अध्ययन असंभव है, अतः इसके 75 जिलों में से 2 मुस्लिम बाहुल्य प्रधान जिलों का चयन किया गया। जिनमें मुजफ्फरनगर व मेरठ जिले का चयन किया गया है। जो निम्न है।

	Total Population	Muslim Population	Percent
Muzaffarnagar	6543362	1349629	38.09%
Meerut	2973877	975715	32.8%
	स्रोत— जनगणना—2011 के अनुसार (सच्चर कमेटी की रिपोर्ट)		

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि गोपाल कमेटी व राजिन्दर सच्चर कमेटी व अन्य छोटे—मोटे मण्डलों को छोड़ दिया जाये तो किसी भी समिति में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की बात को पुरजोर तरीके से नहीं रखा है। जिसके चलते मुस्लिम युवा वर्ग में अलगाववादी रवैया देखने को मिल रहा है। संविधान मे भी अल्पसंख्यकों को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि इसके बहुवचन रूप का कुछ अनुच्छेदों में प्रयोग किया गया। संविधान का अनुच्छेद 29 (11) देश के नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाये रखने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद (30) (1) अल्पसंख्याकों को शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने और उन पर प्रशासन स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। इसी अनुच्छेद को खण्ड (2) के अनुसार राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह किसी धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक के प्रबन्ध में है। अनुच्छेद 350 (क) और (ख) का सम्बन्ध केवल भाषायी अल्पसंख्यक से है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के उपबंध (स) खण्ड 2 के अनुसार कल्याण मंत्रालय में पाँच समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया जिनमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी शामिल हैं। लेकिन क्या आरक्षण देने मात्र से मुसलमानों की स्थिति में बदलाव आ जायेगा। अब तक जिन्हे आरक्षण का लाभ मिला है क्या वे भारतीय समुदाय की मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। क्या केवल वोट बैंक बढ़ाने की खातिर धर्म व सम्प्रदाय के आधार पर आरक्षण पिछड़ेपन का एक साधन मात्र हो सकता हैं उसका दूरगामी उपाय साबित नहीं हो सकता। आरक्षण से ज्यादा जरूरी है कि मुस्लिम युवा वर्ग के मनोबल को बढ़ाया जाये और यह तभी संभव है जब शिक्षा व अन्य सुविधाओं तक उनकी पहुँच बने। साथ ही मुस्लिम समुदाय की औरतो की शिक्षा पर भी विशेष बल दिया जाये। जब तक इन्हें अपने अधिकारों व कर्तव्यों का पता नहीं चलेगा, तब तक ये आरक्षण का लाभ कैसे उठा सकते हैं।

मुस्लमानों में लगभग 60 प्रतिशत लोग मदरसों में ही रहकर परम्परागत शिक्षा प्राप्त करते है। जिसके चलते वे आधुनिक शिक्षा के अभाव में नौकरियों में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते। अतः सरकार को चाहिये कि वह आरक्षण की टॉफी देने के बजाय मदरसों को आधुनिक शिक्षा व स्वरोजगार युक्त बनायें।

आज उलेमा या धार्मिक नेता मुस्लिम समाज की किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं रहे है। चाहे वह तलाक का मामला हो या परिवार नियोजन का। लेकिन जब सरकार इन मामलों में अपना फैसला सुनाती है तो यही वर्ग इन फैसलों को इस्लाम के खिलाफ बताकर मुस्लिम वर्ग को भड़काता है क्योंकि अभी तक यही वर्ग मुस्लिम समाज के नियम–कानून बनाता आ रहा है। और अपने ये अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि अब मुस्लिम वर्ग को विश्व समुदाय में बने रहने के लिये इन परम्परागत तरीकों को छोड़ना पड़ेगा। मुस्लिम देशों में बसेरा आधुनिक राष्ट्र मिस्त्र इसका उदाहरण है जिसने स्वंय को मुख्य धारा में शामिल किया हुआ है। वर्तमान में केन्द्र सरकार तल्लाक प्रथा पर अथक प्रयासरत है।

सन्दर्भ

कुसुम लता सिंह, '*ग्रामीण अल्पसंख्यकों का शैक्षिक विकास* कुरूक्षेत्र सितम्बर 2012 पृष्ठ संख्या **21–27**।

कुरबार अली, *भारत का मुस्लिम समुदाय भेदभाव का शिकार*, सम्पादित–दलित, *अल्पसंख्यक सशक्तीकरण*, सम्पादक– संतोष भारतीय, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली– 2008, पृष्ठ संख्या **161–206**।

डॉ. शकील अहमद समदानी, *दलित मुस्लिम एकता की अवधारणा*, सम्पादित दलित, *अल्पसंख्यक शक्तीकरण*, सम्पादक– संतोष भारतीय, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली –2008, पृष्ठ संख्या **223–228**

एन. जमाल अंसारी, *भारत में मुस्लिमों के सतत् विकास के रूप रेखा सम्पादित*– दलित, *अल्पसंख्यक सशक्तीकरण*, सम्पादक– संतोष भारतीय, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली–2008, पृष्ठ संख्या **290–297**

कमलेश कुमार वाधवा, माइनोरिटी शेफ इन इण्डिया, शोध प्रबन्ध मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत– 1993

'उन्नीकृष्णन केस, में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला– 1993

राजिन्दर सच्चर समिति की रिपोर्ट –2006

रामगोपाल, भारतीय मुस्लिमों का राजनीतिक इतिहास, मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ 1970

पत्रिकायें–समाचार–पत्र

इण्डियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस–दैनिक जागरण

शोध विमर्श– हिन्दूस्तान टाइम्स

क्रानिकल–नवभारत टाइस्म

फ्रन्टलाइन वर्ल्ड फोकस आदि।